कुलाध्यक्ष
संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ

VISITOR
SANJAY GANDHI POSTGRADUATE INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, LUCKNOW

आत्मना संगो जितः

राजभवन, लखनऊ
RAJ BHAVAN, LUCKNOW

पत्रांक-ई-2135/जी०एस०
Dated 27/03/2024

आदेश

1. प्रत्यावेदक डा0 अनिल कुमार श्रीवास्तव (एम0डी0 मेडिसिन), निवासीः म0नं0 5/511, विकास नगर, कुर्सी रोड, लखनऊ द्वारा संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1983 (आगे 'अधिनियम') की धारा–36 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक 03.10.2023 के माध्यम से संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (आगे 'संस्थान') से प्राप्त किये गये प्रशिक्षण अवधि दिनांक 10.07.1992 से दिनांक 20.02.1995 तक का प्रशिक्षण प्रमाण–पत्र जारी कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. प्रत्यावेदक का कथन है कि प्रत्यावेदक को उपर्युक्त प्रयोजनार्थ संस्थान के हृदय रोग विभाग में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु चिकित्सा अनुभाग–4, उ0प्र0 शासन के पत्र दिनांक 10.07.1992 द्वारा (सशर्त) अधिकृत किया गया था एवं चिकित्सा अनुभाग–4, उ0प्र0 शासन के पत्र दिनांक 20.02.1995 द्वारा प्रत्यावेदक को मूल तैनाती स्थल पर योगदान हेतु स्थानान्तरित किये जाने के निर्देश दिये गये थे। संस्थान द्वारा समुचित प्रशिक्षण प्रमाण–पत्र जारी न किये जाने के कारण प्रत्यावेदक द्वारा दिनांक 10.07.1992 से 20.02.1995 तक कुल 03 वर्ष की अवधि का प्रशिक्षण प्रमाण–पत्र जारी कराये जाने के सम्बन्ध में उक्त अधिनियम, 1983 (आगे 'अधिनियम') की धारा–36 के अन्तर्गत तत्कालीन कुलाध्यक्ष के समक्ष प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसके परीक्षणोपरान्त कुलाध्यक्ष आदेश दिनांक 18 जून, 1996 पारित किया गया था। कुलाध्यक्ष के उक्त आदेश के उपरान्त संस्थान के निदेशक द्वारा कुलाध्यक्ष आदेश के अनुपालन में अर्द्धशासकीय पत्र पर दिनांक 01.08.1992 से 31.07.1993 तक की शॉर्ट–टर्म अवधि का प्रमाण–पत्र दिनांक 06.07.1996 जारी किया गया, जबकि प्रत्यावेदक द्वारा अपने सर्वोत्तम प्रयासों से दिनांक 10.07.1992 से 20.02.1995 तक संस्थान में सुपर स्पेशलाइजेशन प्रशिक्षण प्राप्त किया गया। इस प्रकार से वह तीन वर्ष की अवधि के प्रमाण–पत्र का हकदार था, किन्तु मनमाने ढंग से संस्थान द्वारा निर्धारित प्रारूप में तीन वर्ष की अवधि का समुचित प्रशिक्षण प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया। दिनांक 13.04.1994 को विधानसभा प्रश्न में भी राज्य सरकार द्वारा यह स्वीकार किया गया था कि आवेदक का प्रशिक्षण अभी भी चल रहा है, इससे भी स्पष्ट है कि प्रत्यावेदक तीन वर्षीय सुपर स्पेशलाइजेशन ट्रेनिंग सर्टिफिकेट का हकदार है। अतएव उसके रिलीविंग आर्डर दिनांक 20.02.1995 एवं विधान सभा प्रश्न में राज्य सरकार के जवाब के आधार पर दिनांक 10.07.1992 से 20.02.1995 के आधार पर तीन वर्ष की अवधि का प्रशिक्षण प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर जारी करने हेतु संस्थान को निर्देशित किया जाय।

3(अ) निदेशक की आख्या में उल्लेख है कि प्रत्यावेदक द्वारा 03 वर्ष (दिनांक 10.07.1992 से 20.02.1995) तक की अवधि का Super Specialization Training का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया गया है। प्रत्यावेदक संस्थान के कार्डियोलॉजी विभाग में शुद्ध रूप से मात्र 01 वर्ष (दिनांक 01.08.1992 से 31.07.1993 तक) के अल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम (Short Term Training) के तहत ही आया था, जिसके पूर्ण करने के उपरान्त संस्थान द्वारा समय–समय पर उक्त अवधि से सम्बन्धित प्रशिक्षण प्रमाण–पत्र निर्गत किये गये हैं। 03 वर्ष की Super Specialization Training केवल DM/M.Ch Student, जो संस्थान में खुली चयन प्रक्रिया के अन्तर्गत चयनित होते हैं, को ही प्राप्त होती है। वर्तमान में DM/M.Ch Student "NEET" प्रतियोगिता के अन्तर्गत चयनित होकर संस्थान में आते हैं। प्रत्यावेदक द्वारा 03 वर्ष के प्रशिक्षण प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराये जाने सम्बन्धी माँग अनुचित है।

3(ब) निदेशक की आख्या में यह भी उल्लेख है कि प्रत्यावेदक डा0 श्रीवास्तव द्वारा इस सम्बन्ध में मा0 इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ में रिट याचिका संख्या WRIT-C No. 1000991 ऑफ 1993 एवं WRIT-A No.2000015 ऑफ 2013 योजित की गयी थी। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा इन याचिकाओं को निस्तारित करते हुए निम्न आदेश पारित किये गये:–

(1) *These two petitions and a review petition defective No. 758 of 2014 are being decided together.*

(2) *The main contention of the petitioners and the review applicant is that despite petitioner having completed three years of training with the respondent institute, certificate of only one year has been issued and, thus the certificate for the rest of the period should be issued.*

(3) *Learned counsel for respondent has placed on record an order dated 18.06.1996 wherein, on an application filed by the petitioner, a decision was taken by the Visitor in respect of the petitioner, upholding his entitlement for grant of one year certificate, after perusal of the records.*

(4) *The said order passed by the Visitor has not been challenged nor any relief was sought in petitions. In view thereof, the matter attained finality after the passing of the order dated 18.06.1996 interse between the parties.*

(5) *In view thereof, the writ petitions and the review petition deserves to be* ***rejected****. This court is abstaining itself from imposing cost for concealment of the facts of passing an order by the Visitor, in any of the petitions.*

4. उल्लेखनीय है कि प्रत्यावेदक द्वारा पूर्व में 03 वर्ष का प्रशिक्षण प्रमाण–पत्र जारी कराये जाने हेतु उक्त अधिनियम, 1983 की धारा–36 के अन्तर्गत कुलाध्यक्ष के समक्ष अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया था।

प्रत्यावेदक के प्रत्यावेदन पर कुलाध्यक्ष आदेश दिनांक 18.06.1996 द्वारा प्रत्यावेदक को 01 वर्ष की अवधि का प्रशिक्षण प्रमाण–पत्र संस्थान की नियमावली के अनुसार निर्गत किये जाने के निर्देश दिये गये थे। प्रत्यावेदक द्वारा अपने पत्र में स्वीकार किया गया है कि संस्थान द्वारा उसे 01 वर्ष का प्रमाण–पत्र जारी किया जा चुका है। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा भी प्रत्यावेदक द्वारा योजित उपर्युक्त रिट याचिकाओं का निस्तारण अन्तिम रूप से किया जा चुका है, जिसमें प्रत्यावेदक को कोई अनुतोष प्रदान नहीं किया गया है।

5. प्रकरण में, तत्कालीन कुलाध्यक्ष द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.06.1996 का सुसंगत अंश निम्नवत हैः–

"उपरोक्त के अवलोकन से प्रतीत होता है कि एक माह के लिए आब्जर्वरशिप का तथा एक वर्ष के लिये प्रशिक्षण का प्रमाण–पत्र जो पत्र के रूप में होगा स्पान्सर्ड करने वाले प्राधिकारी को संस्थान द्वारा भेजा जायेगा। डा0 अनिल कुमार श्रीवास्तव के सम्बन्ध जो प्रमाण–पत्र प्रशिक्षण पूरा करने पर पत्र के रूप में महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश लखनऊ को भेजा गया वह निम्न प्रकार हैः–

This has reference to your G.O. dated July 10, 1992 regarding short term Observership/Training of Dr. Anil Kumar Srivastva in the department of Cardiology. In this connection, I would like to inform that Dr. Anil Kumar Srivastva Joined the department of Cardiology on August Ist 1992 and attended the department regularly till July 31st, 1993. During this period he has been rotated in different areas of the department and participated in Acadamic Programmes of the department.

As per the approved rules of the Governing Body the maximum period allowed for short term Observarship/Training has been fixed to be one year which Dr. Anil Kumar Srivastva has completed.

संस्थान ने अपनी आख्या में इस बात को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि डा0 अनिल कुमार श्रीवास्तव ने पहले एक माह फिर तीन माह एवं .....(अस्पष्ट) एक वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त किया। संस्थान की नियमावली में इस बात का स्पष्ट प्रावधान है कि एक माह का प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले को ऑब्जर्वरशिप का तथा उससे ऊपर तीन माह व एक वर्ष तक के प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रशिक्षणार्थी को प्रमाण–पत्र दिया जायेगा। संस्थान ने प्रमाणपत्र संबंधी .....(अस्पष्ट) महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को भेजा है उसके अवलोकन से यह स्पष्ट नहीं होता है कि यह ऑब्जर्वरशिप का प्रमाण पत्र है या प्रशिक्षण का है।

चूंकि डा0 अनिल कुमार श्रीवास्तव ने संस्थान में एक वर्ष की अवधि का प्रशिक्षण लिया है। अतः संस्थान को निर्देश दिया जाता है कि वह नियमावली का पालन करते हुए डा0 अनिल कुमार श्रीवास्तव को प्रशिक्षण प्राप्त करनें का प्रमाण–पत्र जारी करे तथा उसकी प्रति कुलाध्यक्ष को भी सूचनार्थ प्रेषित करें।

6. प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रत्यावेदक डा0 अनिल कुमार श्रीवास्तव ने अपने वर्तमान प्रत्यावेदन दिनांक 03.10.2023 द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से प्रकरण में निर्गत कुलाध्यक्ष के पूर्व आदेश संख्याः

ई–2586/जी0एस0, दिनांक 18.06.1996 पर पुनर्विचार किये जाने का अनुरोध किया गया है। प्रत्यावेदक के उक्त प्रत्यावेदन दिनांक 03.10.2023 द्वारा प्रत्यावेदक को याचित अनुतोष प्रदान किया जाना पूर्व निर्गत तत्कालीन कुलाध्यक्ष के आदेश दिनांक 18.06.1996 के पुनर्विलोकन (review) का प्रभाव रखता है। उक्त अधिनियम, 1983 की धारा–36 के अन्तर्गत कुलाध्यक्ष का क्षेत्राधिकार न्यायिक–कल्प (quasi-judicial) प्रकृति का है। अधिनियम, 1983 एवं तद्नन्तर्गत निर्मित विनियमावली, 2011 में कुलाध्यक्ष द्वारा अपने आदेशों पर पुनर्विचार किये जाने का कोई स्पष्ट प्रावधान न होने के दृष्टिगत कुलाध्यक्ष को अपने पूर्व निर्गत आदेशों का पुनर्विलोकन (review) करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। इस सम्बन्ध में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत निर्णयज विधि **कपड़ा मजदूर एकता यूनियन प्रति मैनेजमेण्ट आफ मेसर्स बिरला कॉटन स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लि०, एआईआर 2005 एससी 1782 (तीन सदस्यीय न्यायपीठ)** एवं मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा प्रतिपादित निर्णयज विधि **डॉ० चन्द्र भूषण बनाम द गवर्नर एज चांसलर, मेरठ यूनिवर्सिटी मेरठ एण्ड अदर्स, 1985 यूपीएलबीईसी 737 (इलाहाबाद) (डीबी)** भी अवलोकनीय है, जिनके आलोक में कुलाध्यक्ष को अपने पूर्व आदेशों का पुनर्विलोकन (review) करने की शक्ति प्राप्त न होने के दृष्टिगत इस स्तर से प्रत्यावेदक के वर्तमान प्रत्यावेदन पर पुनर्विचार किया जाना एवं उसे याचित अनुतोष दिया जाना नियमानुकूल नहीं है।

7. अतएव प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, उपर्युक्त विधि व्यवस्था एवं विवेचन के आलोक में, प्रत्यावेदक डा0 अनिल कुमार श्रीवास्तव द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन उपरोक्तानुसार निस्तारित करते हुए निरस्त किया जाता है।

Anandi Patel

(आनंदीबेन पटेल)
कुलाध्यक्ष।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. डा0 अनिल कुमार श्रीवास्तव, एम0डी0 (मेडिसिन), म0नं0 5/511, विकास नगर, कुर्सी रोड, लखनऊ।
2. निदेशक, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।

27/3/24

(डॉ0 सुधीर एम0 बोबडे)
कुलाध्यक्ष के अपर मुख्य सचिव।

Issue Today
27/3

Issued
28/3/24